

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

सकल शिक्षणी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर


आवेदन क्रमांक 765 दिनांक 11/11/2020


प्रार्थी श.रा.व. श्रीमती अश्वती देवी एवं २ पत्नी
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जारी

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P. नो. 11/316
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश पौ पालिका 313

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5442 जमा
जरिये रसीद संख्या 9069/2040, 2041
दिनांक 11/11/2020 को जमा करा दी है ।

जी +
आवासीय


 सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर


 8189373506